न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—212/2018/225 (2018/00212)

1. रामनिवास पुत्र लादू, जाति ब्राह्मण,
2. दुर्गालाल पुत्र लादू, जाति ब्राहम्ण, (फौत) जरिये वारिसानः—
   2/1— श्रीमती गीता पत्नि स्व0 दुर्गालाल,
   2/2— रामरतन पुत्र स्व0 दुर्गालाल,
   2/3— दिलखुश पुत्र स्व0 दुर्गालाल,
   2/4— कान्ती पुत्री स्व0 दुर्गालाल,
   2/5— मधु पुत्री स्व0 दुर्गालाल,
   2/6— सीमा पुत्री स्व0 दुर्गालाल,
   समस्त जाति ब्राहम्ण, निवासी धून्धरी, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. पारी बैवा भूरालाल,
2. महावीर पुत्र भूरालाल,
3. मुकेश पुत्र भूरालाल,
   समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी धून्धरी, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

<u>अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 1.5.2018 अंतर्गत प्रकरण संख्या 21/2015.</u>

<u>उपस्थितः—</u>

1. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील अपीलांटस ।
2. श्री शंकरलाल चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 3.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 4.

निर्णय

दिनांकः— 30.9.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी केकड़ी के आदेश दिनांक 1.5.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. <u>प्रार्थीगण/रेस्पो0</u> संख्या 1 लगायत 3 ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251—ए राज0काश्त0अधि0 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश कर कथन किया कि वाके ग्राम धून्धरी तहसील केकड़ी में स्थित आराजी खसरा नंबर 2508, 2509, 2509/1 प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी है । प्रार्थीगण की आराजियात में आने जाने हेतु खसरा नंबर 2511, 2512, 2514 भूमि में से रास्ते का अनुतोष चाहा । अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 1.5.2018 द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ते के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट को जवाब, साक्ष्य, सुनवाई एवं मौका रिपोर्ट पर आपत्ति का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थीगण ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कहीं भी अंकित नहीं किया है कि कितना रास्ता उसको प्रदान किया जावे। इसलिये प्रार्थना पत्र अपूर्ण होने से चलने योग्य नहीं था । अधी0न्याया0 द्वारा निर्णय में यह अंकित करना की प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण उपस्थित है जबकि अप्रार्थीगण/अपीलांटस और उसके अधिवक्ता उपस्थित नहीं थे । प्रोसिडिंग नकल से यह स्पष्ट है कि दिनांक 15.3.2018 को पत्रावली जवाब व बहस प्रार्थना पत्र हेतु दिनांक 26.4.2018 को प्रस्तुत होने का अंकन किया तथा उसके बाद पत्रावली दिनांक 26.4.2014 को नियत नहीं हुई और ना ही दिनांक 1.5.2018 बाबत् कोई प्रोसिडिंग का अंकन है । इस प्रकार पत्रावली को कैम्प कोर्ट धून्धरी में नियत कर बिना विधिक कार्यवाही सम्पन्न हुए निर्णय पारित करने में त्रुटि कारित की है । प्रार्थीगण ने अपीलांटस की आराजी में आने जाने का रास्ता बताया है जबकि प्रार्थीगण/रेस्पो0 की आराजी में से कभी भी रास्ता नहीं रहा है । प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अधी0न्याया0 ने मौका रिपोर्ट तलब की जिस पर प्रथम रिपोर्ट दिनांक 4.11.2015 को आ चुकी थी उस रिपोर्ट पर बिना कोई आपत्ति हुए दूसरी रिपोर्ट दिनांक 16.8.2016 को मंगवाई गई । उक्त रिपोर्ट बाबत् भी अपीलांट को कोई सूचना नहीं दी गई । प्रथम मौका रिपोर्ट में यह अंकित किया गया है कि वादीगण के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है जिससे वह आते जाते रहते है जबकि दूसरी रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ते बाबत् कुछ भी अंकित नही किया गया है । अधी0न्याया0 ने मौका रिपोर्ट दिनांक 30.4.2018 पर किसी प्रकार की आपत्ति आमंत्रित नहीं की और ना ही आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर ही प्रदान किया । राजस्थान काश्तकारी अधि0 251–ए के तहत उसी खातेदार को अन्य खातेदारों की आराजी में रास्ता दिया जा सकता है जिनके पास कोई वैकल्पिक रास्ता नही हो । उक्त प्रावधान सुविधा व दूरी की दृष्टि से नहीं बनाये गये है। प्रार्थीगण के पास पूर्व में ही अपनी खातेदारी की आराजी में पहुंचने के लिए खसरा नंबर 2485, 2484, 2483, 2506, 2507 जो उसकी स्वंय की खातेदारी की आराजियात है तथा उक्त खातेदारी की आराजी पर आते जाते रहते है तथा उसी रास्ते का उपयोग करते है । लेकिन प्रार्थीगण ने उक्त आराजी को जानबूझकर प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया है । अधी0न्याया0 ने उपरोक्त समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2016 पार्ट–1 पेज 649, आर0आर0टी0 2017 पार्ट–1 पेज 423, आर0आर0टी0 2018 पार्ट–1 पेज 467, आर0आर0डी0 1990 पेज 205, 188, आर0आर0डी0 1986 पेज 88 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय की जानकारी प्रार्थीगण को नहीं थी क्योंकि अपीलांटस एवं उनके अधिवक्ता कैम्प कोर्ट में उपस्थित नहीं थे और ना उनके समक्ष प्रार्थीगण ने कोई बहस ही की थी । अधी0न्याया0 ने एकपक्षीय में बाद में निर्णय पारित किया है । प्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता ने कई बार संबंधित प्रकरण में

तारीख पेशी बाबत् रीडर से जानकारी चाही तो उन्होंने यही बताया कि अभी कैम्प कोर्ट चल रहा है सभी पत्रावलियां अस्त व्यस्त है कैम्पों के समाप्त होने के बाद जानकारी कर लेना । तत्पश्चात् दिनांक 30.6.2018 को कैम्प समाप्त होने के बाद दिनांक 18.7.2018 को जानकारी की तो बताया कि प्रकरण में दिनांक 1.5.2018 को निर्णय पारित हो चुका है । तत्पश्चात् नकल हेतु आवेदन पेश किया जिस पर निर्णय की प्रति प्राप्त होने पर अधिवक्ता से संपर्क कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । रेस्पो0 की खातेदारी आराजियात में आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है । रेस्पो0 अपीलांटस की खातेदारी आराजियात में से आवागमन करते रहे है जिसे अप्रार्थीगण/अपीलांटस ने तारबंदी कर बंद कर दिया । अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांटस को जवाब हेतु अनेक अवसर प्रदान किये गये किन्तु इनके द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया । तहसीलदार ने मौका रिपोर्ट में रेस्पो0 की आराजियात पर आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग नहीं होने का स्पष्ट अंकन किया है । अधी0न्याया0 ने धारा 251–ए के प्रावधानों के तहत अपीलाधीन निर्णय पारित कर रास्ते के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों को अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अभिभाषक अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम अपीलांटस को प्रकरण में गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 पेश किये जाने पर अधी0न्याया0 ने प्रतिवादीगण/अपीलांटस को जरिये सम्मन तलब किया जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2/अपीलांटस दिनांक 6.8.2015 को न्यायालय में स्वंय उपस्थित हुए तथा जवाब हेतु समय चाहा । इसके उपरांत लगभग 34 पेशियों तक प्रतिवादीगण/अपीलांटस द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया । इसलिय अपीलांटस का यह कथन उचित नहीं है कि अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांटस को जवाब, साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रकरण को कैम्प कोर्ट में रखे जाने के नोटिस पर स्वंय रामनिवास के हस्ताक्षर है जिससे स्पष्ट है कि अपीलांटस को प्रकरण को कैम्प कोर्ट में रखे जाने की पूर्ण जानकारी थी । अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की है । तहसीलदार ने भू–अभिलेख निरीक्षक पारा द्वारा तैयार प्रथम मौका रिपोर्ट दिनांक 16.8.2016 को अधी0न्याया0 को प्रेषित की है जिसमें भू–अभिलेख निरीक्षक ने अंकित किया है कि वर्तमान में चाहा गया रास्ता बंद है व फसल काश्त हो रखी है । तत्पश्चात् अधी0न्याया0 ने नवीन मौका रिपोर्ट तलब की जिस पर तहसीलदार ने दिनांक 30.4.2018 को नवीन मौका रिपोर्ट तैयार कर अधी0न्याया0 को प्रेषित की है जिसमें स्पष्ट अंकित किया है कि चाहा गया रास्ता है मौके पर लोहे का गेट लगाकर बंद है। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है । उक्त दानों

मौका रिपोर्ट में किसी प्रकार का विरोधाभाष नहीं है । अपीलांटस अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित थे किन्तु उनके द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर किसी प्रकार का ऐतराज पेश नहीं किया गया है । अतः मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण/रेस्पो0 की आराजियात में आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा अपीलांटस ने उक्त रास्ते को लोहे का गेट लगाकर बंद कर रखा है । संख्या 1 व 2 की आराजियात में आवागमन हेतु कोई रास्ता नहीं होने से अधी0न्याया0 ने धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 की मंशा के अनुरूप रास्ते के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत् आदेश है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित आदेश दिनांक 1.5.2018 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 30.9.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर